राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2244/2007/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट द्वितीय,
वृत तृतीय, राजस्थान जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रभात एण्ड संस,
अजमेर रोड़, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 12/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 277/आरएसटी/1998–99/जी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, वृत तृतीय, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.1998 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति 56,400/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.06.1998 को वाहन संख्या डी. एल.आई.जीए–3486 को प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर माल खाली करते समय चैक किया गया। माल प्रभारी के अनुसार ROUGH SQUARE TEAK लकड़ी परिवहनित की जा रही थी। प्रत्यर्थी द्वारा माल से संबंधित बिल्टी संख्या 6527 दिनांक 03.06.1998 तथा बिल संख्या 282 दिनंक 13.06.1998 पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार बिल पर मैसर्स विकास कारपेन्टरी वर्क्स, 115ए, डॉक्टर कॉलोनी, हीरा नगर, जयपुर का नाम अंकित पाया गया। इस प्रकार गलत दस्तावेजों एवं दूसरे व्यवसाई का नाम अंकित कर अन्य व्यवसाई के व्यवसाय स्थल पर माल उतारने एवं अधिसूचित वस्तु होने के बावजूद घोषणा प्रारूप "18ए" संलग्न नहीं करने के आधार पर अधिनियम की धारा 78(2)ए का उल्लंघन किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा माल की कीमत रूपये 1,88,000/– पर धारा 78(5) के तहत रूपये 56,400/– शास्ति का आरोपण किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.03.2007 के द्वारा स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कथन किया कि वाहन संख्या डी.एल.आई.जीए–3486 को चैक करने पर पाया कि, माल प्रभारी के अनुसार ROUGH SQUARE TEAK लकड़ी परिवहनित की जा रही थी। प्रत्यर्थी ने माल से संबंधित जो दस्तावेज पेश किये गये वे किसी अन्य व्यवसायी के दस्तावेज पाये गये। इस प्रकार गलत दस्तावेजों एवं दूसरे व्यवसाई का नाम अंकित कर अन्य व्यवसाई के व्यवसाय स्थल पर माल उतारने एवं अधिसूचित वस्तु होने के बावजूद घोषणा प्रारूप "18ए" संलग्न नहीं करने के आधार पर अधिनियम की धारा 78(2)ए का उल्लंघन किये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया था, जो कि विधिनुकूल आदेश था जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरूद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कथन किया कि परिवहनित माल मैसर्स विकास कारपेन्टरी वर्क जयपुर द्वारा मंगवाया गया था जो कि एक पंजीकृत फर्म है। उक्त माल जॉब वर्क्स हेतु मैसर्स प्रभात एण्ड संस के यहां भेजा जाना था अतः वाहन चालक को उसके यहा उक्त माल उतारने के निर्देश दिये गये थे। प्रत्यर्थी का परिवहनित माल जॉब वर्क पर आया था। जॉब वर्क हेतु परिवहनित माल पर घोषणा प्रारूप एस.टी. 18ए की कोई आवश्यकता नहीं थी। माल के साथ संलग्न बिल में चार प्रतिशत केन्द्रीय विक्रय कर वसूल किया गया हुआ था व उक्त बिल का जमा खर्च मैसर्स विकास करापेन्टरी वर्क्स द्वारा अपनी लेखा पुस्तिकाओं में कर लिया गया था। इस प्रकार माल का परिवहन उचित दस्तावेजों से किये जाने के कारण व करापवंचन का अभियोग सिद्ध न होने के कारण शास्ति आरोपण अनुचित रूप से किया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व कोई जांच की जाकर करापवंचन की कोई मंशा भी प्रमाणित नहीं गई। अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति को अपास्त किया है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभयक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स जय टिम्बर ट्रेडर्स देहली द्वारा जो माल मैसर्स विकास कारपेन्टरी वर्क्स, जयपुर को भिजवाया गया था उस माल के विरूद्ध जारी किये गये बिल में विक्रेता द्वारा 4 प्रतिशत कर वसूल किया गया था व उक्त फर्म का पंजीयन क्रमांक भी बिल पर अंकित है। मैसर्स विकास कारपेन्टरी वर्क्स, जयपुर के पंजीयन प्रमाण पत्रों की जो प्रतियां प्रस्तुत की गई है उनके अनुसार उक्त व्यवसाई द्वारा टिम्बर का कार्य किया जाना प्रमाणित है एवं जारी बिल में अंकित पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या सही है। अतः उक्त दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में केवल इस आधार पर शास्ति का आरोपण उचित नहीं था

लगातार.....3

कि परिवहनित माल मैसर्स प्रभात एण्ड संस के यहां उतारा जा रहा था। परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रारूप एस.टी. 18ए संलग्न नहीं था। चूंकि व्यवसाई का माल जॉब वर्क के लिए आयात किया जा रहा था व जॉब वर्क के लिए परिवहनित माल पर घोषणा प्रारूप एस.टी. 18ए की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त निर्णय मैसर्स डी.पी. मेटल्स से आच्छादित है। दिनांक 22.03.2002 से पूर्व शास्ति का आरोपण केवल माल प्रभारी/वाहन चालक पर ही किया जा सकता था, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य